न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2021

प्रार्थी

1. हितेश पुत्र वचनाराम जाति पूरोहित निवासी वाड़ा तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थी

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री आदूराम चौधरी
2. अप्रार्थी की ओर से राजपेरोकार उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक –15.09.2021

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा मालवाडा तहसील रानीवाडा में प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 531 रकबा 6.57 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आयी हुई है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी में आने–जाने हेतु कोई वैकल्पित या रेकर्डेड रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते के अभाव में प्रार्थी अपनी आराजी में काश्त करने व कृषि उपकरण व साधन लाने ले जाने में भारी कठिनाई आ रही है। इस कारण सही रूप से काश्त भी नहीं कर पा रहे है। कोई वैकल्पित रास्ता मौजूद नही होने से प्रार्थी की अपनी उक्त आराजी में आवागमन हेतु निकटतम दूरी से रास्ता दिलवाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थी अदालत हाजा के आदेशानुसार प्रार्थी को दिये जाने वाले रास्ते की आराजी के खातेदारों को उचित मुआवजा देने हेतु तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा मालवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर के नवीन खसरा नम्बर 531 रकबा 5.57 हेक्टेयर में आवागमन हेतु निकटतम दूरी खसरा संख्या 530 रकबा 1.03 हेक्टेयर किस्म गै0मू0 धोरा में से रास्ता दिलवाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 531 रकबा 5.57 में आने जाने हेतु रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। इन्हे मार्ग की अति आवश्यकता है। प्रार्थी की उक्त आराजी में आने जाने हेतु नजदीकतम मार्ग सरकारी रेकर्ड रास्ता खसरा नम्बर 571 रकबा 2.34 हेक्टेयर किस्म गै.मू. रास्ता दर्ज है। प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा 531 हेतु प्रस्तावित रास्ता के मध्य आने वाले खसरा नम्बर 530 है। जो सरकारी भूमि गै.मू. धोरा दर्ज है। प्रस्तावित मार्ग की खसरा नम्बर 530 में लम्बाई 48 मीटर व चौड़ाई 9 मीटर कुल क्षेत्रफल 432 वर्गमीटर है। तथा इसकी डी.एल.सी. दर 396140/- प्रति हेक्टेयर है। कुल प्रतिकर राशि की दूगूनी राशि 34227 रूपये बनती है। प्रस्तावित मार्ग में [illegible] कोई संरचना वृक्ष, [illegible], नाडी व केचमेन्ट ऐरिया आदि में नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 15:08:20 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी की खातेदारी आराजी मौजा मालवाडा के खाता संख्या 367 में खसरा नम्बर 531 रकबा 6.57 हैक्टेयर है। इसी ग्राम के खाता संख्या 1 में खसरा नम्बर 530 रकबा 1.03 हैक्टेयर सरकारी भूमि किस्म गै.मू. धोरा स्थित है। जिसके पास खसरा नम्बर 571 रकबा 2.34 हेक्टेयर किस्म गै.मू. रास्ता है। तथा मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुई है। अप्रार्थी तहसीलदार रानीवाडा की और से जवाब में खसरा नम्बर 530 के अलावा कोई रास्ता नजदीकतम नही है। खसरा नम्बर 530 रास्ते की लम्बाई 48 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है। कुल क्षेत्रफल 432 वर्गमीटर है। प्रस्तावित खसरा की वर्तमान में डी.एल.सी. दर 396140 प्रति हैक्टेयर है। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

4. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के खसरा नम्बर 531 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 530 मे सें रास्ता दिया जाता है। जिससे रास्ते की लम्बाई 48 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर कुल क्षैत्रफल 432 वर्गमीटर है। जो आगे ग्रेवल सडक से जोडता है। खसरा नम्बर 530 की डी.एल.सी दर 396140 रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई है। उक्त दर या वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की दर में वृद्वि हो तो उसकी दुगुनी प्रतिकर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रार्थी से मंगवाकर राजकोष में जमा करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश दिया जाता है। प्रार्थी द्वारा डिमाण्ड़ ड्राफ्ट नियमानुसार राजकोष में भुगतान करे तथा भुगतान कर प्रति इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तत्पश्चात तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने जवाब मे प्रस्तुत मौका प्रति अनुसार लाल स्याही से दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 530 रास्ते में लम्बाई 48 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर कुल क्षैत्रफल 432 वर्गमीटर का रास्ता राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 16:08:20 IST
Reason: SelfAttested